न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।

CNR No. UPAU120027382022

परिवाद संख्या–370/2022

सोनम बनाम शौहर जुबैर आलम उर्फ सोनू आदि।

थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–11.10.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मेरी शादी दिनांक 06.07.2018 को शौहर जुबैर आलम उर्फ सोनू के साथ हुई थी। हमसे सभी विपक्षीगण अतिरिक्त दहेज के रुप में दो लाख रुपये की मांग करते हैं। मारपीट करते हैं। मेरी दो बेटियां हैं। सभी लोग मुझे परेशान करते हैं। गाली–गलौज करते रहते हैं एवं जान से मारने की धमकी देते हैं। तुम हमें छोड दो, मुझे दूसरी शादी की धमकी देते हैं।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 आजाद अली व पी0डब्ल्यू0–2 मूलचन्द्र को परीक्षित कराया गया है। जिन्होंने परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदिका द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, मूल रजिस्ट्री रशीद व आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल की गयी हैं।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण शौहर जुबैर आलम उर्फ सोनू, इरशाद अली, विलकिश बेगम, रोजी व गोलू के विरूद्ध धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार उक्त विपक्षीगण धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण शौहर जुबैर आलम उर्फ सोनू, इरशाद अली, विलकिश बेगम, रोजी व गोलू के विरूद्ध धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 15.11.2022 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
J.O. Code No. U.P.-3738